The Chitransh Academic & Research
International Journal of Multidisaciplinary Reseaech
An Online Peer Reviewed / Refereed Journal
Volume1 | Issue 2 |March 2025
ISSN: 3049-303X (Online)
Website: www.thechitranshacadmic.in

असहयोग एवं साइमन कमीशन में बिहार के मध्यम वर्ग की भूमिका

डॉ० विनोद कुमार

शोधार्थी

इतिहास विभाग

वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा (बिहार)

ARTICLE DETAILS

Research Paper

Received: **10/04/2025**

Accepted: **25/04/2025**

Published: **30/04/2025**

Keywords:केसर–ए–हिन्द, सहयोगात्मक, हण्ट कमेटी, राष्ट्रवाद, रौलट विधेयका

ABSTRACT

गाँधी जी भारतय राजनीति में ब्रिटिश शासन के सहयोगी के रूप में प्रवेश किये। प्रथम विश्वयुद्ध के समय गाँधीजी ने भारतीय जनता से अंग्रेजों के साथ सहयोग करने की अपील की थी। ब्रिटिश शासन द्वारा गाँधी के सहयोग की सराहना की गई और उन्हें 'केसर–ए–हिन्द' की उपाधि प्रदान की गई थी। 1918 ई. के प्रारंभ तक गाँधी जी ने ब्रिटिश शासन के प्रति सहयोगात्मक रूख रखा। किन्तु अचानक भारतीय राजनीति में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई जिनसे प्रभावित होकर गाँधीजी ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध हो गए। महात्मा गाँधी को असहयोगी बनाने के लिए कुछ विशेष घटनाएं उत्तरदायी थी जिसमें जलियांवाला हत्याकांड, हण्ट कमेटी की रिपोर्ट, खिलाफ का प्रश्न आदि प्रमुख घटनाएं थी। इसके अतिरिक्त कई राजनीतिक कारण भी थे जिनमें भारत को भारी चोट पहुंची। प्रतिनिधि सरकार की उनकी आशा पूरी नहीं हुई थी। सरकार के दमनचक्र पूरे जोर–शोर से चलाया जा रहा था और भारतीय राष्ट्रवाद को कुचल देने के हेतु सारे देश में दमन किया जा रहा था। भारतीय राजद्रोह समिति की अनुशंसा पर आधारित रौलट विधेयकों का उद्देश्य सरकार की देश में राजनीतिक कार्रवाईयों को दबाने, संदिग्ध लोगों को विधान सम्मत मुकदमें की सुनवाई के सामान्य अधिकारों से वंचित करने का प्राधिकार प्रदान करता था। राउलेट रिपोर्ट निकलने के बाद देश में बड़ा आंदोलन उठ खड़ा हुआ। गाँधी जी ने उसका नेतृत्व अपने हाथों में लिया।

1. परिचय :

प्रान्त में फौजी कानून, दूसरे शब्दों में जिस कानून कहा ही नहीं जा सकता, लागू कर दिया गया। विशेष न्यायाधिकरण स्थापित किया गया। ये न्यायाधीकरण न्यायालय नहीं थे बल्कि एक निरंकुश शासन के मनमानी करने के उपकरण थे। साक्ष्य से सर्वथा असंबद्ध, न्याय का घोर उल्लंघन करनेवाली सजायें दी जाती थीं। अमृतसर में निरपराध लोगों को कीड़े–मकोड़े के तरह पेट के बल रेंगने को बाध्य किया गया। इसके समक्ष जालियांवाला बाग हत्याकांड भी मेरी दृष्टि में नगण्य प्रतीत होता है यद्यपि इस हत्याकांड ने भारत के लोगों एवं दुनिया का ध्यान आकृष्ट किया।

विदेशी सरकार की नृशंस दमन नीति के राष्ट्रव्यापी विरोधी करने के आह्वान पर बिहार की आत्मा उद्वेलित हो उठी। उसके नेता एवं लोगों ने उत्साह के साथ उसमें योगदान किया। पटना में विरोधी सभाओं के संगठन इत्यादि काम स्वयं राजेन्द्र प्रसाद तत्परता से करते रहे। राउलेट विधेयक के विरुद्ध आंदोलन बिहार में 1919 फरवरी के अन्तिम दिनों में आरम्भ हुआ। मार्च में पटना, गया, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, छपरा और भागलपुर में विरोध प्रकट करने हेतु अनेक सभाएं हुई। इन सभाओं में हर वर्ग के लोग शामिल हुए। सर्चलाइट में राउलेट विधायकों की जोरदार आलोचना की गई एवं राष्ट्रीय भावना के प्रचार–प्रसार में इस अखबार के अधिकाधिक प्रभाव का युग आरम्भ हुआ। 6 अप्रैल, 1919 के हड़ताल करने एवं विनम्रता तथा उपासना के दिन के रूप में उसे मनाने के निर्णय किला पटना सिटी में 4 अप्रैल, 1919 को एक सभा में लिए गये। इस सभा में राजेन्द्र प्रसाद, महजरूल हक, पूर्णेन्दु नारायण सिन्हा, सैयद हसन इमाम आदि मध्यवर्गीय नेताओं ने भाग लिया। सभा की अध्यक्षता महजरूल हक ने की। हिन्दू–मुस्लिम एकता पर विशेष रूप से बल दिया गया।

6 अप्रैल को एक विशाल जुलूस पटना बाजार से होकर गुजरा। इसमें

हर वर्ग के लोगों ने भाग लिया। श्री हसन इमाम जिनका उन दिनों बिहार में भारी प्रभाव था, जुलूस का नेतृत्व कर रहे थे। उन्होंने ही स्थानीय सरकार को उन दिन की घटनाओं की अपने तार द्वारा सूचना दी थी। एकत्र भीड़ में व्यवस्था बनाए रखने की उनकी व्यक्तिगत मुचालिका पर यथासंभव अलक्षित रखी गयी। जुलूस शांतिपूर्ण ढंग से समाप्त हुआ। 5 बजे किया मैदान पटना सिटी में वह सभा में परिणत हो गया। हसन इमाम ने सभा की अध्यक्षता की। इस सभा में प्रमुख वक्ता मजहरूल हक, राजेन्द्र प्रसाद, चन्दवंशी सहाय, मित्तर लाल, मौलवी खुर्शीद हुसैन और पुर्णेन्दु नारायण सिन्हा थे। पटना के लगभग सभी छात्र सभा में उपस्थित थे एवं उन दिन की अन्य कार्रवाई में उन्होंने भाग लिया था। मुफस्लि में भी बड़ी संख्या में लोग भाग लेने आए थे। एक सिख वकील गुरुचरण सिंह ने सत्याग्रह आंदोलन में सक्रिय भाग लिया। पटना में पूरी हड़ताल रहीं किसानों ने भी उस दिन खेत में काम नहीं किया। उस दिन कुछ अन्य जगहों में भी प्रदर्शन हुआ एवं हड़ताल रही, जैसे मुजफ्फरपुर, छपरा, चम्पारण, मुंगेर, गया, झरिया और कतरास।

गाँधी जी की गिरफ्तारी की खबर पटना में 19 अप्रैल के तीसरे पहर पहुंची। इससे सारे प्रान्त में भारी उत्तेजना फैल गई। पटना के नागरिकों की एक सभा श्री हसन इमाम की अध्यक्षता में संध्या 21 अप्रैल में हुई। इसमें गाँधी जी के सत्याग्रह प्रतिज्ञा पत्र पर प्रकाश डाला गया और अध्यक्ष, श्री इमाम ने स्वयं सभा के समक्ष संकलप और श्री राजेन्द्र प्रसाद के निवास पर उन लोगों के नाम लिखाने के हेतु जो संकल्प लेना चाहते थे, एक केन्द्र खोला गया। 11 अप्रैल की सभा अन्य वक्ताओं के नाम हैं राजेन्द्र प्रसाद, सरफराज हुसैन, परमेश्वर लाल, उमाशंकर वर्मा, बालगोविन्द मालवीय और सी.बी. सहाय। सबों ने हिन्दू–मुस्लिम एकता और सविनय अवज्ञा पर बल दिया।

भारत में मुस्लिम सम्प्रदाय एवं उनके नेताओं को खिलाफत के सवाल पर हिन्दू नेताओं का पूर्ण सहयोग एवं समर्थन प्राप्त था। दिल्ली में अखिल

भारतीय खिलाफत सम्मेलन 24 नवम्बर, 1919 को हुआ। गाँधी जी ने इसकी अध्यक्षता की। इसमें सरकार के साथ असहयोग का प्रस्ताव पारित हुआ। यदि सरकार खिलाफ जैसे महान काम में हमें धोखा देती है तो हम असहयोग करने के अतिरिक्त और क्या कर सकते हैं। अतः सरकार के प्रतिनियुक्ति निर्णय पर असहयोग करना अधिकार होगा।

पटना में 30 नवम्बर को आगामी शान्ति उत्सव में भाग लेने के सवाल पर विचार करने हेतु अंजुमन इस्लामिया हॉल में एक सभा हुई। हॉल ठसाठस भरा हुआ था। अनेक लोगों को बाहर ही खड़ा रहना पड़ा। और सैकड़ों को जगह नहीं मिलने के कारण लौट जाना पड़ा। श्री हसन इमाम ने अध्यक्ष पद के लिए मौलाना शाह रसीदुल हक के नाम प्रस्तुत किया। श्री राजेन्द्र प्रसाद ने उसका अनुमोदिन किया।

यह समिति राष्ट्रीय शिकायतों को दूर करने तथा खिलाफत समस्या के समाधान हेतु देश की वर्तमान स्थिति में असहयोग के सिद्धान्त को एकमात्र प्रभावी साधन के रूप में स्वीकार करती है।

यह समिति की नियुक्ति की जाए जो श्री गाँधी द्वारा बताये गए असहयोग कार्यक्रम पर इस प्रान्त की स्थिति के विशेष संदर्भ में रिपोर्ट दे। इस समिति में निम्नलिखित व्यक्ति रहें : सर्वश्री महहरूल हक, हसन इमाम, गणेशदत्त सिंह, राजेन्द्र प्रसाद और अयोध्या प्रसाद। समिति 8 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट समर्पित कर दे एवं इस समिति की बैठक उस पर विचार करने के लिए 10 तारीख को होगी। इस सभा में हक, हसन इमाम और राजेन्द्र प्रसाद उपस्थित नहीं थे।

बिहार प्रान्तीय सम्मेलन के 12 वें अधिवेशन में और अधिक महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये। यह अधिवेशन भागलपुर में श्री राजेन्द्र प्रसाद की अध्यक्षता में 28 और 29 अगस्त को हुआ था। राजेन्द्र बाबू ने अपना भाषण हिन्दी में किया था और उसमें असहयोग पर विशेष रूप से बल दिया था। इस सम्मेलन की

ओर महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि इसके अनेक प्रतिनिधि गाँवों से आए थे। असहयोग संबंधी प्रस्ताव दरभंगा के बाबू धरणीधर ने प्रस्तुत किया एवं मुंगेर के शाह मोहम्मद जुबैर, पटना के डॉ० गुलाम इमाम और मोतिहारी के बाबू गोरख प्रसाद ने उसका अनुमोदन किया। भारी बहुमत से प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। प्रस्ताव इस आशय का था :

(1) निर्णय किया गया कि यह सम्मेलन महात्मा गाँधी द्वारा प्रारंभ असहयोग आंदोलन को जनता के हाथों में संवैधानिक एवं प्रभावी अस्त्र के रूप में स्वीकृत इस आंदोलन को चलाने के क्रम में न्यूनतम खतरा उठाया जाए और न्यूनतम बलिदान की मांग की जाए, आकांक्षित उद्देश्य की प्राप्ति के अनुरूप यह कांग्रेस परामर्श देती है :

(क) उपाधियां तथा अवैतनिक पद लौटा दिया जाएं तथा स्थानीय संस्थाओं में मनोनीत सदस्यता से त्यागपत्र दिया जाए।

(ख) सरकार लेवी, दरबार और अन्य सरकारी अधिकारियों द्वारा या उनके सम्मान में किए जाने वाले सरकारी या अर्द्ध सरकारी आयोजनों में भाग नहीं लेना।

(ग) सरकार द्वारा सहायता प्राप्त, नियंत्रित अथवा सरकारी स्कूल एवं कॉलेजों से बच्चों को धीरे–धीरे हटाना, ऐसे स्कूल और कॉलेजों के स्थान पर विभिन्न प्रान्तों में राष्ट्रीय स्कूल और कॉलेज खोलना।

(घ) वकीलों, मुकदमें के फरीकों द्वारा सरकारी न्यायालयों का क्रमिक बहिष्कार, उनकी सहायता से निजी विवादों को निबटाने हेतु निजी पंच फैसला न्यायालयों की स्थापना।

(ङ) सैनिक, लिपिक एवं श्रमिक वर्गों द्वारा मेसोपटामिया में सेवा के हेतु भर्ती नहीं होना।

(च) नवगठित परिषदों में निर्वाचन के लिए अपने को प्रत्याशी नहीं बनाना, मतदाताओं द्वारा ऐसे प्रत्याशियों को जो कांग्रेस के परामर्श के बावजूद

निर्वाचन के लिए खड़ा होते हों, मत नहीं प्रदान करना।

(छ) विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार

बिहार इस प्रस्ताव के अनुसार अविलम्ब काम करने की तैयारियां करने में लग गया। फलतः इस प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर विभिन्न देशों में कार्य शुरू किए गए। 8 सितम्बर, 1920 को बिहार में किसान आंदोलन के नेता स्वामी विद्यानन्द ने सरकारी नीति की कठोर आलोचना अपने एक भाषण में की। 17 सितम्बर, 1920 को आरा में गुलाम इमाम ने एक भाषण दिया जिसमें मुसलमानों के हित का उल्लंघन करने का आरोप ब्रितानी सरकार पर लगाया।

पटना लॉ कॉलेज के छात्र, सैयद मोहम्मद शेर और बिहार नेशनल कॉलेज के छात्र, अब्दुल बारी और मोहम्मद शाकी ने अपने–अपने कॉलेज छोड़ दिए।

यह आंदोलन उत्कर्ष पर था जब गाँधी जी का आगमन बिहार हुआ। गाँधी जी के आगमन से बिहार में आंदोलन ने अधिक जोर पकड़ा। गाँधी जी जहाँ–जहाँ जाते चन्दा एकत्र किया जाता। इस प्रकार लगभग 7000 रुपया नकद मिले। महिलाओं ने अपने आभूषण दिये, इनमें जड़ाऊं कंगल और अंगूठियां भी होती। गाँधी जी के साथ मौलाना शौकत अली और अबुल कलाम आजाद भी प्रेरणाप्रद रहे। मुंगेर से गाँधीजी मकसूदपुर महल्ला गए और सज्जाद नशी उमर साहब से भेंट की। गाँधी जी ने भागलपुर यात्रा का एक परिणाम वहां एवं संथाल परगना जिलें में शराबबंदी आंदोलन का शुरू होना हुआ।

बिहार में अपनी दिसम्बर यात्रा के दौरान सभाओं में भाषण करने के अतिरिक्त गाँधी विशेष बैठक में छात्रों से मिलते। त्रिपक्षीय बहिष्कार के अपने कार्यक्रम ें विदेशी वस्तु, न्यायालयों तथा सरकारी स्कूल एवं कॉलेजों का बहिष्कार– अब वे स्कूल और कॉलेजों के बहिष्कार पर सबसे अधिक जोर दे

रहे थे। इनकी कठोर आलोचना की गई। गाँधी जी ने इन आलोचनाओं का जवाब 29 अक्टूबर के यंग इंडिया के अंक में प्रकाशित अपने लेख में दिया : मुझे भारत के नौजवानों को यदि वे पंजाब के अत्याचारों पर अपने को सम्मानित समझते हों या खिलाफत संबंधी संकल्प उल्लंघन का अर्थ समझने हो तो या बिना सोचे–विचारे सरकारी नियंत्रित स्कूल और कॉलेजों को खाली कर दें, यह कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं। यह कदम उठाते समय तो नैतिक शिक्षा उन्हें मिलेगी वह किताबी शिक्षा की अल्पकालीन क्षति को कहीं अधिक पूरा कर देगी क्योंकि जिस दिन हमारे नौजवान सरकार नियंत्रित स्कूलासें को खाली करेंगे वह लक्ष्य की ओर एक निश्चत प्रगति का दिन होगा। राष्ट्रीय विचारधारा में वह एक क्रान्ति का सूचक होगा।

दिसम्बर, 1920 की अपनी अल्पकालिक बिहार यात्रा के क्रम में गाँधी जी के प्रभावस्वरूप 1921 के आरंभ में कुछेक राष्ट्रीय स्कूल खोले गए तथा कुछ वर्तमान स्कूलों को विश्वविद्यालय में असम्बद्ध करके उन्हें राष्ट्रीय संस्थाओं में परिणत कर दिया गया। इन स्कूलों ने सरकार से कोई अनुदान लेना बंद कर दिया।

राजेन्द्र प्रसाद लिखते हैं– हमलोगों ने भी निश्चय किया कि राष्ट्रीय महाविद्यालय खोला जाए। पटना–गया रोड पर भाड़े पर एक मकान लेकर कॉलेज खोला गया। पटना के इंजीनियरिंग स्कूल के विद्यार्थियों का वहाँ के प्रिन्सिपल से किसी विषय पर मतभेद हो गया। विद्यार्थियों ने हड़ताल कर दी। सभी विद्यार्थी श्री मजहरूल हक साहब के पास जो उन दिनों सिकन्दर मंजिल में फ्रेजर रोड में रहते थे, मिलने गये। श्री मजहरूल हक बड़े ऐशो–आराम से उस बड़ी कोठी में रहा करते थे। इस स्थान का नाम मजहरूल हक ने सदाकत आश्रम रखा। 2 जून, 1922 तक बिहार भर में 41 हाई स्कूल थे। इनमें 4500 छात्र पढ़ते थे। इनके अतिरिक्त 600 प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय भी थे। इनमें लगभग 17,000 छात्रों का अध्यापन होता था। 5

जनवरी, 1921 को बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना की गई।

गाँधी जी दूसरे दिन 6 फरवरी को सबेरे पटना पहुंचे। उनके साथ उनकी पत्नी एवं मौलाना मोहम्मद अली भी थे। उसी दिन राष्ट्रीय महाविद्यालय तथा बिहार विद्यापीठ का औपचारिक उद्घाटन किया। बिहार विद्यापीठ का उद्देश्य था प्रांत में खोली गई सभी राष्ट्रीय संस्थाओं का समायोजन करना तथा उनका नियंत्रण एवं निदेशन करना। इस अवसर पर भाषण करते हुए गाँधी जी ने चम्पारण आंदोलन काल के अपने दो सहकर्मियों, राजेन्द्र प्रसाद एवं ब्रज किशोर प्रसाद की स्नेह के साथ चर्चा की। प्राध्यापकों को उन्होंने प्राचीन भारत के महान् ऋषियों के आदेशों के अनुरूप बनने को कहा। छात्रों को इस प्रकार रहने की एवं आचार–व्यवहार ऐसा बनाने की सलाह दी जिसमें यह संस्थाएं देश भर के लिए आदर्श बन सकें। उन्होंने इस अवसर पर यह भी कहा कि हाल की झरिया यात्रा में राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के लिए 50,000–60,000 रुपया की रकम वे प्राप्त कर सके थे। मुख्यतः यह रकम वहाँ के गुजराती, बंगाली तथा मारवाड़ियों ने दी थी। मानभूम जिलान्तर्गत कतरास के एक बंगाल जमींदार ने इस काम के लिए 2,000 रुपया दिये थे। पटना से गाँधी जी दानापुर गए। वहाँ उन्होंने एक राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया।

बिहार विद्यापीठ के कुलपति एवं उपकुलपति के पदों पर श्री मजहरूल हक एवं ब्रजकिशोर प्रसाद आसीन हुए, राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्राचार्य पर श्री राजेन्द्र प्रसाद। बदरीनाथ वर्मा उन दिनों बिहार नेशनल कॉलेज के अंग्रेजी विभाग में प्राध्यापक थे और श्री जगन्नाथ्झ प्रसाद पटना कॉलेज के संस्कृत विभाग, प्रेमसुन्दर बोस, टी.एन.जे. कॉलेज, भागलपुर के दर्शन विभाग के प्राध्यापक थे। इसके अलावे श्री जगत नारायणलाल, बाबू रामचरित्र सिंह, श्री अब्दुल बारी महाविद्यालय के प्राध्यापक नियुक्त हुए।

राष्ट्रीय महाविद्यालय में जो छात्र पढ़ना चाहते थे पढ़ना आरंभ कर दिया। डॉ० राजेन्द्र प्रसाद ने इस संबंध में लिखा, ‘‘कुछ ही काल बाद

विश्वविद्यालय के कुछ सबसे मेघावली छात्र सरकारी कॉलेज का परित्याग करके राष्ट्रीय महाविद्यालय में आ गए। इनमें से कुछ को छात्रवृत्तियाँ मिलती थी एवं विभिन्न पुरस्कार मिले चुके थे। हमने इनका स्वागत किया। वे जो कुछ छोड़कर आए थे, उसकी तुलना में हम महतर आदर्श के प्रति हमारे पास उन्हें देने को क्या था?''

बिहार के छात्र कुछ वर्षो से बिहार स्टूडेंट्स कान्फरेंस नामक अपना एक संघ स्थापित किए हुए थे। 1920–21 ई. तक एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्था के रूप में यह सम्मेलन काम करता रहा।

दिसम्बर 1921 में कांग्रेस का अधिवेशन अहमदाबाद में हुआ। इसमें कांग्रेस ने यह निर्णय किया कि असहयोग आंदोलन को तेज किया जाय और इस हेतु सारे अधिकार गाँधी को दे दिए जाएं। 1 फरवरी, 1922 को गाँधीजी ने लार्ड रीडिंग को एक पत्र लिखा जिसमें कहा गया कि अगर सरकार ने सभी अहिंसक असहयोगियों को जेल से मुक्त नहीं किया और समस्त अहिंसक कार्य–व्यापारों ने हस्तक्षेप न करने की नीति घोषित नहीं की तो मैं बारदोली में सामूहिक सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करूंगा। लेकिन 5 फरवरी, 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिलान्तर्गत चौरीचौरा नामक स्थान में ऐसी घटना हुई कि महात्मा जी के असहयोग आंदोलन बंद कर देना पड़ा। चौरी–चौरा नामक स्थान को जनता ने आवेश में आकर थानेदार और कई सिपाहियों की हत्या कर दी और पुलिस स्टेशन जला दिया। इससे पूर्व भी मालाबार और बंबई में दंगे हो चुके थे। जब महात्मा जी को यह समाचार मालूम हुआ तब उन्हें बड़ा दुःख हुआ। उन्होंने अनुभव किया कि आंदोलन अपना अहिंसात्मक रूप खो रहा है और जनता में हिंसात्मक प्रवृत्ति बढ़ रही है, जो सैद्धांतिक तथा व्यावहारिक दोनों दृष्टियों से महात्मा जी के विचारों से मेल नहीं रखता था। अतः महात्मा जी ने 12 फरवरी, 1922 को आंदोलन बंद कर दिया और स्वयं प्रायश्चित के रूप में पांच दिनों तक अनशन किया। महात्मा गाँधी के आंदोलन स्थगित करने

से बहुत से नेता क्षुब्ध हो उठे। गाँधी को एक जगह के पाप हेतु पूरे देश को दंड देने का दोषी ठहराया गया। बंगाल और महाराष्ट्र में गाँधी जी की तीव्र आलोचना की गई। सुभाषचंद्र बोस ने भी कहा, जिस समय जनता का जोश सबसे ऊंचे शिखर पर था उस समय पीछे लौट आना राष्ट्रीय दुर्घटना से किसी प्रकार कम नहीं। सरकार ने 1922 ई. के 10 मार्च को महात्मा गाँधी को गिरफ्तार कर लिया। राजद्रोह के अपराध में उन्हें छह वर्ष की सजा दी गई। उन्हें यर्वदा जेल में रखा गया।

निष्कर्ष –

असहयोग आंदोलन के स्थगन से देश में निराशा का वातावरण छा गया। देश में दुःखद भावना की उत्पत्ति हुई। राजनीतिक संघर्ष में उमड़ती हुई हिंसा को अवश्य दबा दिया गया, किन्तु इस दबी हुई हिंसा ने निकलने का मार्ग खोज लिया और भविष्य में इसी के कारण भारत में साम्प्रदायिक दंगे हुए लेकिन इस आंदोलन के कुछ अच्छे परिणाम हुए। पहले–पहल कांग्रेस आंदोलन एक जन आंदोलन के रूप में परिवर्तित हुए। गाँधी जी हिन्दू–मुसलमानों से एक साथ मिलकर काम करने की अपील की। गाँधी जी ने सत्य और अहिंसा पर बल दिया। कांग्रेस ने जो रचनात्मक कार्यक्रम अपनाया इससे देश को भारी लाभ हुआ।

संदर्भ–सूची

1. डॉ० राजेन्द्र प्रसाद, आत्मकथा, साहित्य सार, पटना, 1947, पृ. 112
2. पी.सी. वैमफोर्ड, नन–कोऑपरेशन एंड खिलाफत मूवमेंट इन बिहार एंड उड़ीसा, नई दिल्ली, पृ. 4
3. डॉ० के०के० दत्त, बिहार में स्वातंत्र्य आंदोलन का इतिहास, भाग– 6¬¬
4. द सर्च लाइट, पटना, 13 मार्च 1921
5. यंग इंडिया, 1927–28, पृ. 53
6. रमेश चन्द्र झा, स्वाधीनता समर में सुगौली, पृ. 20

7. सेंसस ऑफ इंडिया, खण्ड– 7, भाग– 1, पृ. 126–130

8. डॉ० राजेन्द्र प्रसाद, महात्मा गांधी एण्ड बिहार, पृ. 43